न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 70/2016 G.C.M.S. No. 2016/00454 दर्ज दिनांक : 16.08.2016

अपीलार्थिगण:

1. भुण्डाराम पुत्र गोरधन, जाति मेघवाल, निवासी चिरपटीया, तहसील मारवाड़ जंक्शन व जिला पाली।
2. भुण्डाराम पुत्र गुल्लाराम, जाति मेघवाल, निवासी भैंसाणा, तहसील सोजत व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कंचन पुत्री कानाराम
2. राजु पुत्र कानाराम
3. भंवरू पुत्र कानाराम, जाति मेघवाल, निवासी निम्बेडाखुर्द, तहसील जैतारण।
4. मेहन पुत्र पांचाराम
5. पूजा पुत्री पांचाराम
6. मंजु पत्नि बाबूलाल
7. अजय पुत्र बाबुलाल
8. विशाल पुत्र बाबुलाल
9. निकित पुत्र बाबुलाल, अप्रार्थीगण संख्या 7 से 9 नाबालिग जरिये कुदरती माता मंजु जाति मेघवाल, निवासी निम्बेडाखुर्द, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
10. ओगड़ पुत्र लाबु मेघवाल नि. निम्बेडाखुर्द, तहसील जैतारण
11. कमल किशोर पुत्र मथुरालाल जाति मेघवाल निवासी हाल बांसखेड़ा नीमच (म.प्र.)
12. गंगादेवी पत्नि नैना
13. शंकर पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल निवासी भनवाड़ा, तहसील डेगाना
14. तहसील साहब जैतारण
15. पटवारी महोदय पटवार हल्का टूकड़ा, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2016 बअनवान कंचन वगैरह बनाम भंवरू वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016

पैरोकार–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 25.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या

94/2016 बअनवान कंचन वगैरह बनाम भंवरू वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में वाद दिनांक 10/05/2016 को दर्ज किया गया। वाद पर किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट होने के लिये तारीख नियत नहीं की। वाद विधि अनुसार पेश हुआ या नहीं, इसके संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया व सम्मन तामिल करवाने हेतु भेजे गये या नहीं। सम्मन तामिल हुये या नहीं इसके संबंध में कोई तथ्य दर्ज नहीं किये गये व कायामी तनकियात के सम्मन भी भेजे गये या नहीं यह तथ्य वाद में दर्ज नहीं हैं। सभी व्यक्तियों की तामिल हुई या नहीं यह भी तथ्य वाद में दर्ज नहीं है। वाद के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 11, 12 व 13 के सम्मन सर्व तामिल होने की स्थिति भी पत्रावली पर नहीं हैं। विधिक प्रक्रिया अपनाकर कानूनी प्रावधान के अनुसार न तो तमाम प्रतिवादीगण के जवाब रेकर्ड पर लिये गये न तनकियात कायम की गई न साक्ष्य ली गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 जो प्रतिवादी संख्या 1 है व वादीनी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के भाई है इस भंवरू ने अपीलान्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 18/01/2012 को अपने 1/6 हिस्से की कृषि भूमि का बैचान किया व तत्पश्चात अपीलान्ट संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 29/04/2013 को शेष हिस्से की कृषि भूमि का बैचान अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया इस इस तरिके से भंवरूराम रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के बाद प्रस्तुत करते समय रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के हक, हकुक अपीलाधिन भूमि में नहीं थें व अपीलान्ट के हक में समाहित हो चुके थें व अपीलान्ट का थाव है परन्तु वादीगण द्वारा जानबुझकर तथ्य छुपाकर अपीलान्ट का बिना पक्षकार बनाये सहायक कलेक्टर जैतारण में प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली थी जो निर्णय व डिक्री फोर्ज थे व धोखे से प्राप्त की गई हैं। प्रकरण में कानाराम की मृत्यु अर्से दराज पूर्व समय हो चुकी हैं व कानाराम की मृत्यु के बाद इनका कब्जा होने के कारण व तन्हा रूप से भंवरूराम के काश्त करने के कारण भवरूराम के नाम म्युटेशन स्वीकृत कर खातेदारी में नाम दर्ज किया गया व भवरूराम खातेदार था इस कारण से अपीलान्ट को कृषि भूमि का बैचान किया गया है। बैचान पूर्णतय वेध है व अपीलान्ट के हकमे हक, हकुक निहित हो चुके हैं। अपीलान्ट द्वारा भंवरू के हक मे भरे गये म्युटेशन को भी चैलेंज नहीं किया है, न ही उक्त म्युटेशन को अदालत मातहत में पेश कर प्रदर्शित ही करवाया है। बिना म्युटेशन के तथ्य को देखते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को म्युटेशन की अपील की जानी चाहिये थीं, जो अपील नहीं की गई जो अपील म्याद बाहर थीं। अपील का निर्णय अंतिम हो चुका था। अपील का

अधिकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 का समाप्त होने के कारण उक्त वाद तथ्य छिपाकर अपीलान्ट के हित को नजरअंदाज कर अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये अपीलान्ट को बिना सुने अपीलान्ट को बिना जवाब का अवसर दिये निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली जो निर्णय व डिक्री प्राप्त करने का अधिकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को नहीं था। चूंकि अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार मुकदमा था बिना पक्षकार बनाये वाद पेश किया गया जो वाद अपने आप में पूर्ण नहीं था। अपूर्णता के आधार पर वाद को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में डिक्री किया गया यह विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व अन्य के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही जरिये ईस्तगासा सम्बंधित न्यायालय के समक्ष क्रियांवित है। अदालत मातहत द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह विधि व तथ्य के विरूद्ध है। नोन स्पीकिंग ओर्डर है। धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस भी नहीं दिया गया है कानूनन धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना लाजमी था वजुआत इसके भंवरू द्वारा अपना हिस्सा बेच दिया व वादीगण को इसकी जानकारी थीं तो वाद अर्जेन्ट नेचर का नहीं था। वाद पूर्व से विचाराधिन सिविल न्यायालय में था इस कारण से धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस आवश्यक था। इस कारण से भी निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादीगण दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के आवेदन के साथ हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी अपीलांट द्वारा खातेदार भंवरू से क्रय कर ली गई थीं। वादीगण द्वारा अपीलांट क्रेतागण को पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली गई। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में हित निहित है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

3. पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय-विलेख दिनांक 18.01.2012, 29.04.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार भंवरू उर्फ भंवरलाल द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से अपना हिस्सा अपीलांट को विक्रय कर दिया गया। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है। जिन्हें सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया द्वारा वादग्रस्त आराजी अपने पिता काना पुत्र लादू की खातेदारी होने तथा काना के फौत उपरांत केवल पुत्र भंवरू प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामांतरण दर्ज कर देने व वादिया पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किए जाने से वादिया द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के अनुतोष बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2016 को पंजीबद्ध किया गया तथा आगामी दिनांक 30.06.2016 को पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करने के आधार पर स्वीकार कर डिक्री किया गया। राजीनामा पर वादिया के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल, प्रतिवादी संख्या 3 मोहनलाल के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 6 से 8 की माता प्रतिवादी संख्या 5 मंजू के हस्ताक्षर है। अन्य पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित नहीं किया गया है। इसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कथित राजीनामा के आधार पर वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया गया। जो विधिसम्मत नहीं होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

5. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि वादिया का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.05.2016 को पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 30.06.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 भंवरू उर्फ भंवरलाल द्वारा राजीनामा प्रतिपादित कर दिया गया। जबकि उक्त प्रतिवादी द्वारा दिनांक 29.04.2013 को ही अपना संपूर्ण हक, हिस्सा अपीलांट को विक्रय कर दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी भंवरलाल द्वारा विक्रय की जानकारी के बावजूद बिना किसी अधिकार के राजीनामा प्रस्तुत कर वाद स्वीकार किया गया। जबकि भंवरलाल का दिनांक 29.04.2013 के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक शेष नहीं रह गया था। वादीगण द्वारा क्रेतागण अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। जबकि अपीलांट क्रेतागण वादग्रस्त आराजीयात में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है। जिन्हें सुना जाना आवश्यक है। लेकिन अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट्स को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए बिना पारित की गई हैं। जो काबिल अपास्त है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण

अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः विचारण व निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उभयपक्षकारान द्वारा निष्पादित व प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा के आधार पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2016 बअनवान कंचन वगैरह बनाम भंवरू वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट्स को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित करते हुए वादीगण से संशोधित शीर्षक प्राप्त कर प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विधिनुरूप विचारण व निर्णयन किया जाकर वादपत्र पुनः निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण में दिनांक 29.06.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली